

386

संख्या निगा-4434/2018/रीवा/भूरा

490

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर महेवी महल म०प्र०

Handwritten signature



अधिमोक्षी कृपान्द
तह डारा बहा
5-7-18 (W)

1- सुनीलाल पटेल तनय स्व० ददन प्रसाद पटेल निवासोग्राम जुड़मनिया रघुनाथ तहसील नईगढ़ी जिला रोवा म०प्र० ।

कलक उग्र कोर्ट
राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर
(सफाई कोठी) रावा

हुब्लाल पटेल तनय ददन प्रसाद पटेल निवासोग्राम जुड़मनिया रघुनाथ तहसील नईगढ़ी जिला रोवा म०प्र०

----- निगरानी कार्या गण ।

बनाम

1- रामकरण पटेल तनय स्व० बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम जुड़मनिया रघुनाथ तहसील नईगढ़ी जिला रोवा म०प्र० ।

2- अशोक कुमार पटेल पिता स्व० गेंदलाल पटेल

3- कृष्ण कुमार पटेल पिता स्व० गेंदलाल पटेल

4- शिवानन्द पटेल पिता स्व० गेंदलाल पटेल,

प्र० 2 ता 4 निवासी ग्राम जुड़मनिया रघुनाथ तहसील नईगढ़ी जिला रोवा म०प्र० ।

5- श्रीमती रेखा पटेल पत्नी श्री संतोष पटेल

6- अंश पटेल नाबा० & दोनो के पिता श्री संतोष पटेल जरिए बली तर परस्त

7- अमा पटेल नाबा० & माँ श्रीमती रेखा पटेल

8- श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० गेंदलाल पटेल

9- शकुन्तला पत्नी स्व० गेंदलाल पटेल,

10- रामनारायण पटेल तनय श्रीकृष्ण पटेल

~~वीरेंद्र कुमार पटेल~~

~~Handwritten signature and text~~

:: 2 ::

- 11- इन्दलाल तनय राममनोहर पटेल,
- 12- उदयराम ॥ सभी के पिता केदार पटेल
- 13- आनन्द ॥
- 14- संतोष ॥
- 15- विनोद ॥
- 16- बसन्ती पटेल पत्नी रघुमंदन पटेल
- 17- शानवती पत्नी रघुमंदन पटेल
- 18- रामलाल तनय नाथू पटेल

----- उक्त सभी निवासी ग्राम कुमनिया रघुनाथ तहसील नईगढ़ी

जिला रोवा म० प्र०

----- गैर निगरानी कर्ता गण ।

स्वयं निगरानी विरुद्ध पूर्व पारित बटवारा
प्र० क्र० 83/ए27/2015-16 आदेश दि० 9-09-16
एवं उक्त वैध आदेश को यथावत रखते हुए माननीय
अनुविभागीय अधि० मजगंज के अपील प्र० क्र० 72/
ए-27/16-17 पारित आदेश दि० 15-05-18
के वैध आदेश के रहते पुनः नायब तहसीलदार -
नईगढ़ी वृत्त खर्चा के द्वारा प्र० क्र० 50/ए6/17-
18 पारित आदेश दि० 29-01-18 के अवैध
आदेश को निरस्त किया जाकर पूर्व में पारित
आदेश को यथावत रखे जाने हेतु ।

वीरन्ध कुमार सिंह

ए० ए०



जिला रोवा म० प्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक स्व0निग0 / 4434 / 2018 / भू-रा0

जिला-रीवा

खुशीलाल पटेल / रामकरण पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृपेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 73/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	